संख्या-56/2021-1858/58-2021-227/2010

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 5 अक्टूबर, 2021**

विषयः वर्ष 2021-2022 में जनपदवार आलू बीज आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आलू 27जी/आलू बीज आवंटन- 2021-22(59), दिनांक 21.9.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र के साथ प्रेषित वर्ष 2021-22 में जनपदवार आलू बीज आवंटन की सूची (प्रति संलग्न) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमोदित किया जाता हैः-

1- आलू बीज का जनपदवार आवंटन, आलू बीज की वास्तविक उपलब्धता, जनपदों की मांग व आवश्यकता तथा शासनादेश संख्या-2437/58-2009-100(2)/2006, दिनांक 01.10.2009 द्वारा निर्गत आलू बीज वितरण संबंधी नीति को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार किया जाए।

2- निदेशक, उद्यान को यह अधिकार होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपदों को उल्लिखित आवंटन में से अन्य जनपदों को वहां की आवश्यकता एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में आवंटन को कम या अधिक कर सकेंगे एवं उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

3- आलू बीज वितरण में अनियमितता पाये जाने पर निदेशक, उद्यान एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आलू बीज निकासी की संकलित साप्ताहिक रिपोर्ट शासन को प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shaandesh.up.gov.in